न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ ,जिला भीलवाडा

प्रकरण सख्या 19/17

बईजलास :– अर्पिता सोनी ,आर0ए0एस0

उनवान

छोगानाथ पिता माधुनाथ नाथबाबजी निवासी ~~मेहताजी का खेडा~~ खटवाडा तहसील माण्डलगढ

प्रार्थी

बनाम

1–भैरू लाल पिता कालुराम शर्मा निवासी खटवाडा तहसील माण्डलगढ

2–सुरेन्द्रसिहं पिता अर्जुनसिहं बापना निवासी खटवाडा तहसील माण्डलगढ

विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0

दिनांक 12/5/17

–:आदेश:–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री सजंय कुमार के जरिये प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/सयुंक्त खाते की भुमि ग्राम खटवाडा प0ह0 खटवाडा की सरहद में आ0न0 1491/2 रकबा 11 बिस्वा खातेदारी में स्थित है । विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लडाई झगडा करते है अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र सलग्नं है प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया गया । प्रस्तुत पत्रावली में विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

पत्रावली में सलग्नं जमाबन्दी सम्वंत............ के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है पडौसियो के विवाद करने बाबत् शपथपत्र सलग्नं है पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है ।

अतःप्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0स्वीकार किया ग्राम खटवाडा प0ह0 खटवाडा की सरहद में आ0न0 1491/2 रकबा 11 बिस्वा खातेदारी भुमि की बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है पत्थरगढी हेतु भु–अभिलेख निरीक्षक............ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कमिश्नर फीस ~~800~~ 150/रूपये तय किये जाते है जो वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मोके पर अदा करेगा। पत्थरगढी शुल्क 100/रूपये जरिये चालान राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो ।

आदेश सुनाया गया ।

(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी,माण्डलगढ